उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 14 16-31 जुलाई 2024 ₹ 20/-

सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति

- केंद्रीय बजट और अल्पसंख्यक
- पाकिस्तान में शिया-सुन्नी दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत
- हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह की तेहरान में हत्या
- जर्मनी में इस्लामिक सेंटर और उससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति 04
केंद्रीय बजट और अल्पसंख्यक 09
उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी को होगी उम्रकैद 12
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 150 मदरसों को बंद करने का आदेश 15
योगी सरकार के नेम प्लेट से संबंधित फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक 18

विश्व

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा में सैकड़ों की मृत्यु 20
पाकिस्तान में शिया-सुन्नी दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत 23
जर्मनी में इस्लामिक सेंटर और उससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध 24
बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध 25
पेरिस में आतंकी हमला 26
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण 27

पश्चिम एशिया

हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह की तेहरान में हत्या 28
हमास और फतह सहित 14 फिलिस्तीनी संगठनों में एकजुटता 31
हूतियों के बंदरगाह पर इजरायल का हमला 34
सऊदी अरब में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए स्मार्ट सिस्टम योजना 35
इराक और सीरिया में आईएसआईएस के पुनरुत्थान की संभावना 36

सारांश

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। बता दें कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उर्दू अखबारों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान संघ और मोदी सरकार के बीच जो तनाव पैदा हुआ था उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने संघ को यह तोहफा दिया है। उर्दू अखबारों का कहना है कि इस समय देश में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 40 लाख और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या लगभग एक करोड़ है, इसलिए सरकार के इस फैसले के कारण सरकारी कर्मचारियों के जरिए संघ को हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विदेशी धन के बल पर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अवैध धर्मांतरण अभियान पर गहरी चिंता प्रकट की थी। अदालत ने यह आशा व्यक्त की थी कि राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई ठोस नीति अपनाएगी ताकि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में न बदल जाएं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए कानून में संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित संशोधित कानून में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के दोषियों की सजा की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष या आजीवन कारावास कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जुर्माने की धनराशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। इससे पहले 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक विधानसभा से पारित किया था। इस कानून में अवैध धर्मांतरण कराने के दोषी व्यक्ति के लिए 1-5 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। पुराने कानून में यह भी प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति सामूहिक धर्मांतरण कराता है तो उसे दस साल की कैद की सजा हो सकती है और उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वर्तमान संशोधित कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि आरोपी आसानी से जमानत पर रिहा न हो सके।

इजरायल द्वारा हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह और उसके कई अन्य प्रमुख नेताओं की जिस तरह से हत्या की गई है उससे मध्य पूर्व में स्थिति विस्फोटक हो गई है। विश्लेषकों ने आशंका व्यक्त की है कि इस घटना से मध्य पूर्व में युद्ध का विस्तार हो सकता है। ईरान ने इन हत्याओं का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमला करने की धमकी दी है। इसके जवाब में इजरायल ने कहा है कि वह किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने भी यह संकेत दिया है कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो वह इजरायल को अकेला नहीं छोड़ेगा।

जर्मनी के गृह मंत्रालय ने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सेंटर पर इस्लामी अतिवाद को बढ़ावा देने और जर्मनी में इस्लामी खिलाफत को स्थापित करने की साजिश रचने का आरोप है। जर्मन पुलिस और गुप्तचर विभाग ने पूरे देश में कट्टरपंथी इस्लामी जिहादियों की धरपकड़ का अभियान छेड़ दिया है। जर्मन गृह मंत्रालय ने यह दावा किया है कि इस इस्लामी जिहादी संगठन के तार ईरान से जुड़े हुए हैं और इसका संचालन ईरान के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति

उर्दू टाइम्स (23 जुलाई) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। संघ और भाजपा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जबकि कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह एक उचित फैसला था। 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई। इसके बाद 9 जुलाई को मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। मेरा यह मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार के इस फैसले की अलोचना की है और सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध से संबंधित कई दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया है वह केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी है। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित जारी आदेशों में भी संशोधन किया है।

अवधनामा (28 जुलाई) में मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख का शीर्षक है, 'सरकारी दफ्तरों में आरएसएस का दाखिला।' इस लेख में कहा गया है कि तत्कालीन सरकार ने आरएसएस के अतिरिक्त कई अन्य संगठनों की गतिविधियों में

सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर जो प्रतिबंध लगाया था उनमें जमात-ए-इस्लामी का नाम भी शामिल था। 9 जुलाई को गृह मंत्रालय ने जो परिपत्र जारी किया है उसमें सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की ही अनुमति दी गई है। जबकि शेष संगठनों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार आरएसएस की दया पर निर्भर है और भाजपा आरएसएस की राजनीतिक शाखा है, इसलिए सिर्फ इसी को छूट मिली है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी यह पाबंदी बरकरार थी। मई 2014 से अब तक केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार है, लेकिन पिछले 10 सालों में इस प्रतिबंध को हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया। अब संसद में अपने बलबूते भाजपा को बहुमत प्राप्त नहीं है। अब जब यह सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है तो इस प्रतिबंध को हटाया गया है और भाजपा के किसी सहयोगी दल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

खास बात यह है कि इस संदर्भ में जो सरकारी परिपत्र 9 जुलाई को जारी किया गया था उसे 21 जुलाई तक छिपाया गया, क्योंकि सरकार को इस पर विपक्ष की तीव्र प्रतिक्रिया का अंदेशा था। विपक्ष ने इसका विरोध उस ताकत से नहीं किया, जिसकी संभावना थी। आरएसएस ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार के इस फैसले से देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। 58 वर्ष बाद इस प्रतिबंध को हटाने के फैसले पर चर्चा का दरवाजा खुल गया है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी देश के सेक्युलर संविधान के संरक्षण हेतु पाबंद होते हैं। हालांकि, आरएसएस का विश्वास न तो सेक्युलरिज्म पर है और न ही उसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की ही चिंता है। आरएसएस का बुनियादी लक्ष्य देश में हिंदुत्व का पुनरुत्थान है। वह एक मजहब, एक भाषा और एक संस्कृति के वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है। आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन वह बुनियादी तौर पर एक राजनीतिक संगठन है, जिसका लक्ष्य पिछले दरवाजे से सत्ता पर कब्जा करके देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना है।

यह सभी जानते हैं कि भाजपा के पिछले एक दशक के कार्यकाल में आरएसएस ने इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया है। अब विश्वविद्यालयों के कुलपति और उपकुलपति आरएसएस के लोग ही बनते हैं। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थानों में भी आरएसएस के विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से संबंधित लोगों को ही उपकुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने अपने पद से त्यागपत्र देकर बाकायदा भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद वे एमएलसी भी बना दिए गए तो सारा राज खुल गया। हद तो यह है कि जामिया हमदर्द और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वफादारों की नियुक्ति हुई है। यह सभी जानते हैं कि आरएसएस से जुड़े लोगों ने देश के

पूरे शिक्षा तंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एनसीईआरटी जैसे संस्थानों द्वारा जो पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं उनमें भी देश के इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उनमें मुस्लिम शासकों की भूमिका को नकारात्मक ढंग से पेश करने के अतिरिक्त ऐसे परिवर्तन भी किए जा रहे हैं, जो देश के सेक्युलर ताने बाने के लिए हानिकारक हैं।

लेख में कहा गया है कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और इसका बुनियादी लक्ष्य देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। तब से वह इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय है। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा तो यह महसूस किया गया था कि गांधी की हत्या के लिए माहौल बनाने वालों में आरएसएस भी था। सभी जानते हैं कि आरएसएस ने देश के सेक्युलर लोकतांत्रिक संविधान को स्वीकार नहीं किया और इसकी जगह उसने मनुस्मृति की वकालत की। आरएसएस ने लंबे समय तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया और उस पर भगवा झंडा ही लहराता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी कर्मचारियों के आररएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर उन्हें विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस फैसले को देश हित के खिलाफ बताया है।

अखबार-ए-मशरिक (28 जुलाई) ने अपने संपादकीय में इस फैसले की आलोचना करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। समाचारपत्र ने कहा है कि पहले सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति का संबंध आरएसएस से पाया जाता था तो उसे सरकारी नौकरी में नियुक्त नहीं किया जाता था। देश में यह नियम है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी स्वीकार करने से पहले अपने राजनीतिक संबंध तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि देश की सरकार का कोई धर्म नहीं होता और इसे सेक्युलर होना चाहिए। विपक्षी दलों ने इस सरकारी फैसले का विरोध किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने रवैये में किसी तरह का परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब नायडू और नीतीश की यह जिम्मेवारी है कि वे इस मुद्दे पर अपने रूख को स्पष्ट करें। उन्हें जनता को यह बताना होगा कि क्या वे भी अपने कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देंगे या नहीं? क्या वे नरेन्द्र मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं? अगर ऐसा है तो उनके लिए अपने-अपने राज्यों की जनता को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। आरएसएस की सोच रखने वाले लोग भाजपा के समर्थक होते हैं। अगर भाजपा के एजेंडे और नीतियों को आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में फलने-फूलने का अवसर दिया गया तो बिहार और आंध्र प्रदेश के सत्तारूढ़ दलों के लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 जुलाई) ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आरएसएस का कार्य करता है तो वह राष्ट्र का वफादार नहीं है। समाचारपत्र ने लिखा है कि कांग्रेस के अतिरिक्त ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी प्रकट की है और कहा है कि यह फैसला देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। पहले के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान था कि अगर वे संघ की गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पेंशन आदि से वंचित कर दिया जाएगा। अब आरएसएस समर्थक कर्मचारियों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया है।

रोजनामा सहारा (25 जुलाई) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'संघ को मोदी

सरकार का तोहफा'। समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चलाने वाले संघ को देश की नौकरशाही का पूर्ण और खुला समर्थन प्राप्त होगा। हिंदू राष्ट्र का असंवैधानिक मंसूबा लोकतांत्रिक भारत के प्रशासन के सहयोग से परवान चढ़ेगा। अब किसी न्यायाधीश को संघ का हाथ थामने के लिए सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। उनके तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय हिंदुस्तान के लोकतंत्र और सेक्युलर छवि पर कितना प्रभाव डालेगा इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। आरएसएस अपनी पहचान के लिहाज से एक अर्धसैनिक संगठन है। यह संगठन अपनी ताकत के बल पर हिंदुस्तान से अल्पसंख्यकों के खात्मे में विश्वास रखता है। इस संगठन के द्वितीय सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक 'वी ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड' में कहा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और यहां के अल्पसंख्यकों के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था।

समाचारपत्र ने कहा है कि अपनी इस विचारधारा के प्रचार में आरएसएस कितना सफल रहा है इसका असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों को भयभीत करने के अभियान से ही देखा जा सकता है। इस संगठन की कारगुजारियों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की साजिश भी शामिल है, जिसके आधार पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था और उससे संबंधित लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। संतुलन बनाने के लिए जमात-ए-इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया। 1966 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में गोहत्या के नाम पर देश भर में आग भड़काई गई। काफी अशांति फैली। खतरा था कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा देश इसके लपेटे में आ जाएगा। जांच में यह पता चला कि इस आग को ईंधन आरएसएस उपलब्ध करा रहा था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पटेल, जिन्हें मोदी अपना रोल मॉडल करार देते हैं, ने सरकारी कर्मचारियों को 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' कहा था। यानी सिविल सेवा से यह आशा की जा रही थी कि वे स्टील के ढांचे के रूप में काम करेंगे, जो संविधान और कानून के शासन को स्थिर रखता है। इसके लिए यह जरूरी था कि सिविल सेवा जात-पात और धर्म के संकुचित दृष्टिकोण से मुक्त रहे।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी उस समय भी जारी रही जब 1977 में आरएसएस की राजनीतिक शाखा जनसंघ जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुई। यह पाबंदी उस समय भी जारी रही जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में एनडीए की सरकार बनी। यहां तक कि नरेन्द्र मोदी की तानाशाही के दो कार्यकाल में भी इस प्रतिबंध को

हटाने की कोई चर्चा सुनने में नहीं आई। अब जदयू और टीडीपी जैसी सेक्युलर पार्टियों की मदद से सत्ता में आई मोदी सरकार ने संघ को बाकायदा सरकारी तोहफा देकर यह बता दिया है कि चुनावी अभियान के दौरान 'बड़े फैसलों' से संबंधित उनकी बातें हवाई नहीं थीं। प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। एक तो देश से लोकतंत्र के खात्मे का स्वप्न पूरा हो जाएगा और हिंदुत्व की कट्टरपंथी सरकार को और ताकत मिलेगी। 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी और एक करोड़ से अधिक राज्य सरकारों के कर्मचारी संघ में शामिल होकर उसके एजेंडे को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे और संघ की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करेंगे।

दूसरी ओर, संघ के लिए यह एक ऐसा तोहफा है, जिसके बारे में वह कुछ महीने पहले तक सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि चुनावी अभियान के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी यह एहसास करवा रहे थे कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। उनके ऐसे बयानों से आरएसएस और मोदी सरकार के बीच संबंधों में कटुता आ गई थी। मोदी सरकार ने अब इस प्रतिबंध को हटाकर आरएसएस के साथ अपनी कटुता को खत्म कर दिया है और संघ शिविर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

रोजनामा सहारा (29 जुलाई) में प्रकाशित अपने लेख में डॉ. सैयद अहमद कादरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस अलोकतांत्रिक फैसले के कारण भविष्य में कितने खतरनाक नतीजे निकलेंगे इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश में 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी और एक करोड़ से ज्यादा राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं। हालांकि, उनके लिए यह जरूरी नहीं हैं कि वे आरएसएस के सदस्य बनें या उसकी शाखाओं में जाएं। फिर भी जितनी भी संख्या में वे इसमें शामिल होंगे वह उस शपथ के खिलाफ होगा, जो उन्होंने सरकारी नौकरी में शामिल होने के समय देश के संविधान के प्रति वफादारी और निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए ली थी। आरएसएस बहुत ही संगठित और सक्रिय हिंदूवादी संगठन है। इसकी नींव 27 सितंबर 1925 को डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में रखी थी। यह संगठन शुरू से ही विवादित रहा है। हालांकि, आरएसएस स्वयं को राष्ट्रवादी संगठन बताता है, लेकिन असल में यह एक फासीवादी संगठन है। इस पर ब्रिटिश सरकार ने एक बार और आजादी के बाद केंद्र सरकार ने तीन बार प्रतिबंध लगाया था। इसकी स्थापना के दो साल के अंदर ही नागपुर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसमें इसका हाथ पाया गया था। देश में हुए अनेक सांप्रदायिक दंगों के पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप है।

इंकलाब (29 जुलाई) में प्रकाशित एक लेख में मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए संघ के दरवाजे खोलकर देश को एक विशेष दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। क्या कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेक्युलर पार्टियां इसका मुकाबला कर पाएंगी? अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो चुनावों में देश को अप्रत्याशित

हालात का सामना करना पड़ेगा। लेख में कहा गया है कि आरएसएस के संपर्क में आने और उसकी विचारधारा से प्रभावित होते ही किसी भी व्यक्ति में एक विशेष तरह की सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो जाती है। न्याय, ईमानदारी और अन्य मानवीय मूल्यों पर संघ की विचारधारा प्रभावी हो जाती है। उसका निष्पक्ष रहना किसी भी सूरत में संभव नहीं रहता। आरएसएस का यह दावा कि वह एक सांस्कृतिक संगठन है, यह सच्चाई पर बिल्कुल आधारित नहीं है। आज पूरा प्रशासन संघ के हाथों में है। 2014 से अब तक लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी आरएसएस से संबंधित रहे हैं, इसलिए वे विपक्षी पार्टियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस में भी हिंदुत्ववादी मानसिकता के लोग शुरू से रहे हैं और कई बार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति कांग्रेस का रवैया भी निष्पक्षपूर्ण नहीं रहा है।

नोमानी ने अपने लेख में कहा है कि 1975 में जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने आरएसएस के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता के दरवाजे खोल दिए थे। लालकृष्ण आडवाणी ने प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न संगठनों में संघी विचारधारा के लोगों को बैठा दिया था। वे एक विशेष मानसिकता से काम करते आ रहे हैं। सरकार का आजादी से पहले और बाद में भी यह प्रयास रहा है कि नौकरशाही को संघ के प्रभाव से दूर रखा जाए, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के लिए संघ में सक्रिय भाग लेने के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसके दूरगामी परिणाम दिखाई दे रहे हैं। न्यायपालिका तक के फैसलों में हिंदुत्ववादी झुकाव साफ नजर आ रहा है। कई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद खुलकर संघ में शामिल हो गए हैं। बहुत से उच्च श्रेणी के कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति के फौरन बाद आरएसएस और भाजपा की गोद में चले जाते हैं। इससे साफ है कि न्यायपालिका हो या प्रशासन वह निष्पक्ष नहीं है और उनका रवैया अल्पसंख्यकों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहता है। मोदी सरकार के इस फैसले से प्रशासन में आरएसएस का प्रभाव बढ़ेगा, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। ■

केंद्रीय बजट और अल्पसंख्यक

सियासत (25 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि केंद्र सरकार का ध्येय वाक्य 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' है, लेकिन यह एक जुमला मात्र है। इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, उनके लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 3183.24 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अगर इस देश में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या को देखा जाए तो वह 30 करोड़ से भी अधिक है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई है वह बहुत ही कम है। इससे साफ है कि सरकार के सभी दावे फर्जी हैं और उसे अल्पसंख्यकों की भलाई, कल्याण और उनके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में कोई रुचि नहीं है। पिछले एक दशक में सरकार की नीतियां

अल्पसंख्यक विरोधी रही हैं। उनकी छात्रवृत्तियों की धनराशि में भारी कटौती की गई हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित अनेक योजनाएं बंद कर दी गई हैं और उनके कल्याण के लिए एक भी नई योजना प्रारंभ नहीं की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बहुत महत्त्वपूर्ण थी और उसकी धनराशि में हर वर्ष वृद्धि करने की जरूरत थी, लेकिन इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा इस बजट में निर्धारित धनराशि में भारी कटौती की गई है। जहां तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संबंध है, उसमें मात्र 145 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। पहले यह धनराशि 1000 करोड़ रुपये थी। जो वृद्धि की गई है वह सिर्फ दिखावा है। इससे अल्पसंख्यकों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसी तरह से मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए निर्धारित धनराशि में कटौती करके उसे आधा कर दिया गया है। पहले यह धनराशि मात्र 95 करोड़ थी, जिसे अब घटाकर 46 करोड़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त देशभर में अल्पसंख्यकों को हुनरमंद बनाने की कोई योजना शुरू नहीं की गई है और न ही उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया है। यह सिर्फ खानापूर्ति है और इससे अल्पसंख्यकों का कतई विकास नहीं होगा।

इंकलाब (25 जुलाई) ने इस बजट को अल्पसंख्यकों के लिए निराशाजनक बताया है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि इस वर्ष के बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 3183 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यकों के लिए 5020 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस तरह से अल्पसंख्यकों के बजट में भारी कटौती की गई है। इसकी वजह से अनेक योजनाओं को बंद कर दिया गया है। जिन योजनाओं को बंद किया गया है उनमें मदरसों का आधुनिकीकरण, मौलाना आजाद फेलोशिप, नई उड़ान और मौलाना आजाद फाउंडेशन शामिल हैं। अलपसंख्यक मंत्रालय की कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं, जिनमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और नि:शुल्क कोचिंग योजना भी शामिल हैं के लिए निर्धारित बजट की धनराशि को भी खर्च नहीं किया गया है। इससे सरकार की बदनीयती का पता चलता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के बजट में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान बजट से यह उम्मीद थी कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में वृद्धि करेगी, लेकिन उल्टा उसमें कटौती की गई है। इससे साबित होता है कि सरकार को

अल्पसंख्यकों को विकसित भारत अभियान में शामिल करने में कोई रुचि नहीं है।

कौमी तंजीम (24 जुलाई) ने अपने संपादकीय में केंद्रीय बजट को अल्पसंख्यकों के लिए निराशाजनक बताया है और चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यकों को इस वर्ष और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि अल्पसंख्यकों की आबादी में वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में निरंतर कटौती कर रही है। वित्त वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 3511 करोड़ रुपये था, लेकिन 11 साल गुजर जाने के बावजूद इस वर्ष उसे घटाकर 3183 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, अन्य सभी मंत्रालयों के बजट बढ़ाकर कम-से-कम दोगुने कर दिए गए हैं। क्या यह अल्पसंख्यकों की हमदर्द सरकार और उसके समर्थक सेक्युलर पार्टियों की बदनीयती का संकेत नहीं है? केंद्र सरकार धीरे-धीरे अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न विभागों को बंद करती जा रही है। इसी साल बिना कोई कारण बताए मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद कर दिया गया था। हालांकि, यह संगठन अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा था।

हिंदुस्तान (31 जुलाई) ने अपने संपादकीय में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि उसके लिए देश के 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। पिछले 77 सालों में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी सरकार ने 2022-23 के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 5020 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे। 2023-24 में उसमें 38 प्रतिशत की कटौती करके उसे 3097 करोड़ रुपये कर दिया गया। अब वर्तमान बजट में उसमें केवल 86 करोड़ की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री के जन विकास कार्यक्रम की धनराशि में तो वृद्धि की गई है, लेकिन देश के 1300 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में भारी कटौती की गई है। मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि घटा दी गई है। मुसलमानों के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाओं में भारी कटौती करके उनके लिए सिर्फ तीन करोड़ रुपये ही निर्धारित किए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि देश के मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। पिछले साल उनकी छात्रवृत्तियों की धनराशि 1689 करोड़ रुपये थी, जिसे अब घटाकर 1575 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जो धनराशि पिछले साल 433 करोड़ थी उसे घटाकर सिर्फ 2 करोड़ कर दिया गया है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना की धनराशि को घटाकर आधा कर दिया गया है। आईएएस के प्रातियोगियों हेतु मुफ्त कोचिंग योजना के लिए पिछले साल 30 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बजट तीन करोड़ से घटाकर एक करोड़ कर दिया गया है। विदेशों में पढ़ाई करने हेतु अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाले कर्ज के ब्याज में जो सब्सिडी दी जाती थी उसे 21 करोड़ से घटाकर 3 करोड़ 15 लाख रुपये कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के

वार्षिक बजट में भी 15 प्रतिशत की कटौती की गई है। दूसरी ओर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट 669 करोड़ से बढ़ाकर 1303 करोड़ कर दिया गया है। इससे साफ है कि केंद्र की भाजपा सरकार का रवैया अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मदरसों को केंद्र सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाता था उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मदरसों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत मदरसों के अध्यापकों को जो सम्मान राशि दी जाती थी उसे इस साल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 जुलाई) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'मुस्लिम विरोधी बजट'। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार का रूख मुस्लिम विरोधी है, इसलिए उसने मुसलमानों के विकास की सभी योजनाओं में भारी कटौती की है। ये फैसले इसलिए किए गए हैं ताकि मुसलमान जो पहले से ही सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं वे और भी पिछड़ जाएं। मुसलमानों की जो छात्रवृत्तियां बंद की गई हैं उसके कारण स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या में कमी आने की संभावना है। आर्थिक बदहाली के कारण मुस्लिम समाज में असुरक्षा और वंचित होने की भावना बढ़ सकती है, जो देश हित में नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह मुसलमानों से संबंधित योजनाओं में की गई कटौती पर पुनर्विचार करे। संसद में मुस्लिम प्रतिनिधियों से भी यह आशा की जाती है कि वे सरकार पर दबाव डालकर इस अन्याय को दूर करवाने का प्रयास करें ताकि देश विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सके। यदि एक वर्ग पिछड़ा रह जाता है तो विकास की कल्पना करना बेमानी है। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के मुस्लिम विरोधी रूख को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने चुनावों में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो मतदान किया है उसका बदला मोदी सरकार उनसे ले रही है।

उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी को होगी उम्रकैद

मुंबई उर्दू न्यूज (31 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद से संबंधित एक कानून को पारित कर दिया गया है। इस कानून में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपियों के लिए 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके दोषियों पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके दोषियों की जमानत से संबंधित प्रावधान को भी काफी कड़ा किया गया है। नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अवैध धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। इससे पहले शिकायत करने के लिए पीड़ित के माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी। नए कानून के अनुसार सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत लव जिहाद के मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को जमानत की याचिका का विरोध करने का मौका दिए बिना आरोपी की जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के सभी मामलों को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है।

अखबार-ए-मशरिक (31 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून बनाया था। इसके बाद 2021 में इसी सरकार ने विधानसभा में अवैध धर्मांतरण पर प्रतिबंध से संबंधित एक कानून पारित किया था। इस कानून में दोषियों के

लिए एक से दस साल तक की कैद का प्रावधान था। पुराने कानून में यह भी प्रावधान था कि अगर विवाह करने के लिए धर्मांतरण किया जाता है तो वह विवाह गैर-कानूनी होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे दो महीने पहले जिलाधिकारी को इस संदर्भ में जानकारी देनी होगी। पुराने कानून में जबरन या धोखे से धर्मांतरण करवाने पर 1-5 साल की कैद के साथ-साथ 15 हजार रुपये जुर्माने की भी व्यवस्था की गई थी। अगर मामला किसी दलित लड़की से जुड़ा होता था तो उस मामले में आरोपी के लिए 3-10 साल तक की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था।

नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति डरा धमकाकर या लालच देकर शादी करने या शादी का वायदा करके किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराता है तो उसके लिए 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था की गई है। नए कानून में जुर्माने की धनराशि पीड़ित के इलाज और उसके पुनर्वास व्यय पर आधारित होगी। अदालत पीड़ित के लिए मुआवजा भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पांच लाख तक हो सकता है। यह राशि जुर्माने के अतिरिक्त होगी और इसका भुगतान दोषी व्यक्ति को ही करना होगा। अगर कोई व्यक्ति विदेशी स्रोतों से या गैरकानूनी संस्थाओं से धन लेकर धर्मांतरण करवाता है तो उसे 14 साल तक की कठोर सजा के साथ-साथ दस लाख तक का जुर्माना भी देना होगा।

गौरतलब है कि पिछले महीने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में चल रहे अवैध धर्मांतरण के अभियान पर चिंता प्रकट की थी। इससे पहले 2023 में भी इसी अदालत ने विदेशी धन से धर्मांतरण की घटनाओं पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। नए कानून की धारा 7 के तहत बिना शर्तों को पूरा किए किसी भी आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इनमें पहली शर्त यह है कि सरकारी वकील को आरोपी की जमानत की याचिका का विरोध करने का मौका दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि उसके पास आरोपी को जमानत देने का ठोस आधार है और वह लगाए गए आरोप का दोषी नहीं है। इसके अतिरिक्त

अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से ऐसा अपराध करने की कोशिश नहीं करेगा।

रोजनामा सहारा (5 अगस्त) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि जल्द ही उनकी सरकार भी लव जिहाद के आरोपी को उम्रकैद देने से संबंधित विधेयक को विधानसभा में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम यह भी सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि असम में सभी सरकारी नौकरियां राज्य के मूल निवासियों को ही दी जाएं। इस संबंध में भी कानून लाया जा रहा है।

टिप्पणी : उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कई अन्य राज्यों में भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पारित किए जा चुके हैं। हरियाणा ने 2022 में इस संदर्भ में एक कानून पारित किया था। जबकि हिमाचल प्रदेश ने भी जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया है। उत्तराखंड सरकार 2018 में ही जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना चुकी है। मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2020 में धर्मांतरण के खिलाफ कानून पारित किया था। जबकि गुजरात और कर्नाटक सरकार ने 2021 में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून पारित किया था। झारखंड में भी 2017 में ऐसा कानून लाया गया था। 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया था। उड़ीसा ने 1967 में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया था। मध्य प्रदेश में पारित किए गए कानून में बहला-फुसलाकर और धमकी देकर जबरन धर्मांतरण और शादी करने पर दस साल की सजा का प्रावधान है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ यह गैर-जमानती अपराध होगा। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि धर्मांतरण और उसके बाद होने वाली शादी के दो महीने पहले जिलाधिकारी को धर्मांतरण और शादी के बारे में लिखित आवेदन देना होगा। इस कानून के तहत बिना आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले काजी, मौलवी या पादरी को भी पांच साल तक की सजा मिल सकती है।

हरियाणा में भी लव जिहाद को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पारित कानून में गलत बयानबाजी करने, बल प्रयोग करने, धमकी देने, जबरदस्ती, प्रलोभन या फिर किसी धोखाधड़ी के माध्यम से विवाह करना या करवाना जबरन धर्मांतरण कानून के तहत ही माना जाएगा। ऐसे में दोषी व्यक्ति के लिए 1-5 साल तक की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति शादी करने के इरादे से अपने धर्म को छिपाता है तो उसे कम-से-कम 3 साल की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उसे कम-से-कम 3 लाख का जुर्माना भी देना होगा। ■

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 150 मदरसों को बंद करने का आदेश

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अगस्त) के अनुसार मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने श्योपुर जिले के 56 इस्लामी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि श्योपुर में कुल 80 मदरसे हैं। इनमें से 56 मदरसे बंद पाए गए हैं। इसके बावजूद ये सरकार से अनुदान ले रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार श्योपुर में सिर्फ 24 मदरसे नियमित तौर पर संचालित हो रहे हैं। बाकी सभी मदरसे बंद पाए गए हैं। इन बंद पड़े मदरसों के प्रबंधकों ने जिला शिक्षा विभाग को बच्चों के स्थानांतरण के बारे में भी सूचित नहीं किया है। तोमर के अनुसार इन मदरसों ने यह भी नहीं बताया है कि उनमें पढ़ने वाले छात्र कहां चले गए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की थी कि सरकारी अनुदान पाने वाले जिन मदरसों में अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जुलाई) के अनुसार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस्लामी मदरसों के खिलाफ जिहाद शुरू करने का संकेत दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आने वाले समय में गैर-कानूनी रूप से चलने वाले सभी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा की विधायक उषा ठाकुर ने मदरसों में दी जा रही शिक्षा का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। उन्होंने यह दावा किया था कि इन मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, इसलिए इन्हें फौरन बंद किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की थी कि इन मदरसों की जांच करवाई जाए। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी मदरसों की जांच कराने का संकेत दिया था, जिसका विरोध कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील ने किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। हालांकि, संविधान ने उन्हें अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।

सियासत (8 जुलाई) के अनुसार मध्य प्रदेश के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राज्य सरकार के मदरसा विरोधी अभियान की निंदा की है ओर कहा है कि राज्य सरकार सांप्रदायिक द्वेष के कारण मदरसों को बंद करने की साजिश रच रही है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष नितिन सक्सेना का कहना है कि हम मध्य प्रदेश के मदरसों की जांच कर रहे हैं। अगर उनमें कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एतेमाद (12 जुलाई) के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर

सिंह परमार ने शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के लिए एक समान यूनिफॉर्म निर्धारित किया जाए। इसे पहले 55 सरकारी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस निर्णय की आलोचना की है और कहा है कि सरकार ने यह शोशा कॉलेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए छोड़ा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा है कि भाजपा की सरकार समान यूनिफॉर्म की आड़ लेकर कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना चाहती है और वह छात्राओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहती है।

एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ जिले के 94 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का फैसला किया है। इन मदरसों में पढ़ने वाले दो हजार छात्र-छात्राओं को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाया जाएगा। अलीगढ़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव ने 26 जून 2024 को अलीगढ़ के जिलाधिकारी को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को जिला परिषद के स्कूलों में दाखिल करवाया जाए।

रोजनामा सहारा (31 जुलाई) के अनुसार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक परिपत्र जारी करके राज्य के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में जो छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं उनकी शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में करवाई जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सरकारी आदेश का विरोध किया है। बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने की। इस प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से राज्य के 8449 मदरसों को जारी नोटिस पर आपत्ति दर्ज की है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और संत कबीर नगर आदि जिलों में जिला प्रशासन ने इस्लामी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई

शुरू कर दी है। इन मदरसों को इस आधार पर गैर-मान्यता प्राप्त करार दिया जा रहा है कि वे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं। हालांकि, ये मदरसे किसी न किसी ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत दशकों से चल रहे हैं। इन मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह स्पष्ट किया कि राज्य के मुख्य सचिव का यह परिपत्र भारतीय संविधान की धारा 14, 21, 26 28, 29 और 30 के खिलाफ है। इन धाराओं में अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे न केवल अपने पसंद के शिक्षण संस्थान ही स्थापित कर सकते हैं, बल्कि उनका प्रबंधन भी अपने अनुसार कर सकते हैं। सरकार ने शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो कानून 2009 में पारित किया था उसमें भी इस्लामी मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं को बाहर रखा गया है। बोर्ड ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार जिन मदरसों को गैरकानूनी बता रही है उनमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा, जामिया सलाफिया आदि विश्वविख्यात इस्लामी शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे फौरन इस आदेश को वापस लें ताकि देशभर के मुसलमानों में जो बेचैनी फैल रही है वह दूर हो सके।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अगस्त) के अनुसार जमीयत उलेमा, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी ने कहा है कि सरकार गैरकानूनी रूप से मदरसों पर यह दबाव डाल रही है कि वे अपने मदरसे बंद कर दें। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार मदरसों के लिए सरकारी मान्यता अनिवार्य नहीं है। अगर मदरसों के प्रबंधकों को अपने छात्रों को अन्य शिक्षण संस्थानों में स्थानांतरित करने का कोई सरकारी आदेश दिया जाता है तो वह गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण हो सके।

उर्दू टाइम्स (15 जुलाई) ने कहा है कि हिंदूवादी ताकतों की ओर से मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह मुसलमानों को इस्लाम और दीन से दूर करने की एक साजिश है। दीनी मदरसे इस्लाम के किले हैं। उन्हें किसी भी सूरत में ध्वस्त न होने दें और उनके संरक्षण के लिए मुसलमानों को हर संभव कदम उठाना चाहिए। अगर ये मदरसे खत्म हो जाते हैं तो उनके बिना न मुसलमान बचेगा और न ही दीन। यह समझकर चलें कि इस समय मुसलमानों के जुबानी दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन ठोस रूप से उनका मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उन्हें अपना संरक्षण स्वयं करना पड़ेगा। मदरसे चलाना और उसमें दीनी तालीम देना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और जो भी इसमें रूकावट डालेगा वह देश और संविधान का दुश्मन कहलाएगा।

योगी सरकार के नेम प्लेट से संबंधित फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक

मुंबई उर्दू न्यूज (23 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले दुकानों और भोजनालयों के नेम प्लेटों पर उनके मालिकों के नाम लिखने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थाई रोक लगा दी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्देश दिया था कि राज्यभर में कांवड़ियों के मार्ग पर जो दुकानें या भोजनालय स्थित हैं उनके नेम प्लेटों पर मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य होगा। योगी सरकार के इस फैसले को कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि राज्य सरकार या पुलिस दुकानदारों को अपने नाम उजागर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उन्हें सिर्फ खाने की वस्तुओं से संबंधित जानकारी देने के लिए ही कहा जा सकता है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को जमात-ए-इस्लामी के सहयोगी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह पूछा था कि यह प्रेस नोट है या सरकारी आदेश? इस पर याचिकाकर्ता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश प्रशासन दुकानदारों पर यह दबाव डाल रहा है कि वे अपने दुकानों के नेम प्लेटों पर अपने नाम और मोबाइल नंबर लिखें। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोई कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। पुलिस को सिर्फ यह जानने का अधिकार है कि किस तरह का खाना पेश किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि यह सरकारी निर्देश एक वर्ग का आर्थिक बहिष्कार करने के बराबर है।

अखबार-ए-मशरिक (20 जुलाई) ने आरोप लगाया है कि भगवा सरकारों में मुसलमानों और दलितों के लिए जीना दूभर हो रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों और भोजनालयों के नेम प्लेटों पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम दर्ज करने की हिदायत दी गई है। पहले यह निर्देश मुजफ्फर नगर आदि क्षेत्रों में ही लागू किया गया था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रा के

चुनाव में भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को ठुकरा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने एजेंडे के अनुसार ही काम रही है। समाचारपत्र ने पूछा है कि यह आदेश किस कानून के तहत जारी किया गया था?

सभी मार्गों पर इसे लागू करने का आदेश दे दिया। अब राज्यभर के तमाम दुकानों और भोजनालयों को नेम प्लेट लगाकर यह बताना होगा कि उनके मालिक कौन है और उनमें कौन-कौन से कर्मचारी है। राज्य सरकार के अनुसार यह कदम सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए उठाया गया है। यात्रा के मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेट के साथ समान बेचने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सरकारी फैसले के खिलाफ विपक्ष ने विरोध किया था और यह आरोप लगाया था कि राज्य सरकार राजनीतिक उद्देश्य से एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है और उसका आर्थिक बहिष्कार कर रही है। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया। भाजपा के एक सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इसकी आलोचना की है। पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वह अपने इस आदेश को फौरन वापस ले ले।

अखबार-ए-मशरिक (24 जुलाई) ने अपने संपादकीय में इस आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि यह मुसलमानों के साथ सरकारी भेदभाव है। उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा के

एतेमाद (20 जुलाई) ने अपने संपादकीय में राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। यह संविधान के विरुद्ध है और मुसलमानों के साथ खुला भेदभाव है। इस निर्णय का लक्ष्य यह है कि यात्रा में शामिल श्रद्धालु मुसलमानों की दुकानों से खरीददारी न करें। राज्य सरकार चाहे इसे कोई भी नाम दे, लेकिन यह हकीकत है कि इस तरह के फैसले हिटलरशाही की याद ताजा करते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 जुलाई) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमानों को राहत व सुकून की सांस लेने का मौका दिया है, इसलिए हम उसके शुक्रगुजार हैं।

उर्दू टाइम्स (21 जुलाई) ने अपने संपादकीय में योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि वे आग से खेल रहे हैं और वे मुस्लिम विरोध में अपनी आंखें बंद कर चुके हैं। अगर किसी मुसलमान को सजा दी जा रही है तो उसका कसूर भी बताया जाना चाहिए। बेकसूरों को सजा देने का अंजाम योगी भी जानते होंगे, इसलिए वे आग से खेलने की कोशिश न करें।

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा में सैकड़ों की मृत्यु

इंकलाब (29 जुलाई) के अनुसार बांग्लदेश में चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन में अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जबकि गैर-सरकारी सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है।

रोजनामा सहारा (29 जुलाई) के अनुसार यह आंदोलन इस महीने की शुरुआत में प्रारंभ हुआ था और इसने धीरे-धीरे भीषण रूप ले लिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने चीन का दौरा अधूरा छोड़कर वापस स्वदेश लौटना पड़ा है। पुलिस स्थिति पर नियंत्रण पाने में विफल रही थी, इसलिए पूरे देश को सेना के हवाले करके कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही सेना को यह भी निर्देश दिया गया है कि सड़क पर जो भी व्यक्ति आंदोलन करता दिखाई दे उसे देखते ही गोली मार दी जाए।

इंकलाब (22 जुलाई) के अनुसार आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है। कोटे के संबंध में उच्च न्यायालय ने जो यथावत रखने का निर्देश दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अब से सरकारी नौकरियों में 93 प्रतिशत नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होंगी। बाकी के सात प्रतिशत में से पांच प्रतिशत मुक्ति संग्राम के सेनानियों का कोटा, एक प्रतिशत अल्पसंख्यकों का कोटा और एक प्रतिशत विकलांगों का कोटा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो वह इस कोटे में वृद्धि या कमी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इस संदर्भ में फौरन अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने छात्रों की ओर से पांच वकीलों को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों में से आठ उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के पक्ष में थे।

गौरतलब है कि इससे पहले 2018 में सरकार ने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के कारण प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण

व्यवस्था को रद्द करने का परिपत्र जारी किया था। जब इस फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका अदालत में दायर की गई तो उच्च न्यायालय की एक पीठ ने इस परिपत्र को अवैध घोषित करते हुए पुरानी आरक्षण व्यवस्था को बहाल कर दिया। इसके दूसरे दिन ही छात्रों ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ दिया, जिसने धीरे-धीरे भीषण रूप धारण कर लिया।

हिंदुस्तान (23 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बावजूद छात्रों ने अपने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस आंदोलन के सिलसिले में पकड़े गए सभी आंदोलनकारियों को रिहा नहीं कर दिया जाता।

अवधनामा (31 जुलाई) के अनुसार आंदोलनकारियों ने आंदोलन को तीन दिन तक स्थगित करने की घोषणा की है। इसी दौरान बांग्लादेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कोटे से संबंधित फैसले पर अधिसूचना जारी कर दी है।

उर्दू टाइम्स (30 जुलाई) के अनुसार गिरफ्तार किए गए छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने सरकार से मांग की है कि देशभर में बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को फिर से खोला जाए। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार देशभर में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट को चालू कर दिया गया है। सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यह आश्वासन दिया है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। छात्र नेताओं ने यह घोषणा की है कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है, इसलिए उन्होंने अस्थाई तौर पर अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है।

उर्दू टाइम्स (27 जुलाई) के अनुसार 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तो वहां के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने देश की सरकारी नौकरियों में 80 प्रतिशत कोटा लागू किया था। इसमें मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के लिए 30 प्रतिशत, पिछड़े जिलों के लिए 40 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत और आम लोगों के लिए 20 प्रतिशत कोटे की व्यवस्था की गई थी। 1976 में आरक्षण में संशोधन किया गया और पिछड़े जिलों का आरक्षण घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इससे आम लोगों के लिए आरक्षण 40 प्रतिशत हो गया। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया और अल्पसंख्यकों का कोटा पांच प्रतिशत घोषित किया गया। इस तरह से आम लोगों के लिए 45 प्रतिशत कोटा हो गया। प्रारंभ में मुक्ति संग्राम सेनानियों की संतानों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 में मुक्ति संग्राम सेनानियों के पोते-पोतियों को भी आरक्षण देने की घोषणा की गई। 2012 में विकलांगों को एक प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई।

शुरुआती दौर में किसी ने भी इस कोटा व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण छात्र इससे संतुष्ट नहीं थे। 2018 में सरकार ने इस कोटा व्यवस्था को रद्द करने की घोषणा की, लेकिन उच्च न्यायालय ने

इस अधिसूचना को रद्द करके पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का निर्देश दिया।

हिंदुस्तान (21 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति के चलते वहां पर पढ़ाई करने वाले 5000 से अधिक भारतीय छात्र-छात्राओं में से 1000 को अपनी जान बचाकर स्वदेश लौटना पड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश में विस्फोटक स्थिति को देखते हुए वहां पर स्थित पांच भारतीय दूतावासों के कर्मचारी बांग्लादेश में फंसे हुए छात्रों को वापस स्वदेश भेजने में मदद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार बांग्लादेश में फंसे हुए नेपाल और भूटान के छात्रों की स्वदेश वापसी में भी मदद कर रही है और उन्हें भारत में प्रवेश करने की सुविधा दी जा रही है। उन्हें रास्ते में सुरक्षा प्रदान भी की जा रही है।

सियासत (23 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार ने जिस तरह से पूरे देश को सेना के हवाले कर दिया है वह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब एक बार सेना के मुंह में सत्ता का खून लग जाता है तो वह लोकतांत्रिक सरकारों को भंग करके सत्ता पर कब्जा कर लेती है। समाचारपत्र ने कहा है कि बांग्लादेश में विपक्ष बहुत कमजोर है और प्रधानमंत्री शेख हसीना एक तानाशाह की तरह शासन चला रही हैं।

हिंदुस्तान (23 जुलाई) ने अपने संपादकीय में बांग्लादेश की सरकार को यह सलाह दी है कि वह अपनी हठधर्मिता छोड़े और विस्फोटक स्थिति को देखते हुए आंदोलनकारियों के साथ वार्ता शुरू करके देश में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए कोई रास्ता निकाले। इसमें जितनी देर की जाएगी उतना ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और प्रशासन के लिए घातक होगा।

एतेमाद (26 जुलाई) ने अपने संपादकीय में बांग्लादेश की विस्फोटक स्थिति पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि शासक वर्ग जिस तरह से तानाशाही तरीका अपना रहा है उसके कारण देश में दिन-प्रतिदिन जनाक्रोश भड़क रहा है। अब जनता के धैर्य का बांध टूट चुका है और वह सड़क पर आ गई है। हालांकि, सरकार यह दावा कर रही है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इस समय एक करोड़ 80 लाख बांग्लादेशी नौजवान बेरोजगार हैं। उनके लिए देश में रोजगार उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि विदेशों को रेडीमेड कपड़े निर्यात करने में भारी प्रगति हुई है और हर साल 60 अरब डॉलर के कपड़े विदेशों में भेजे जा रहे हैं। इससे 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। सरकार का यह दावा है कि पिछले एक दशक में बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय में तीन गुना वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि देश में जो विकास हो रहा है वह सिर्फ सत्तारूढ़ दल और उसके समर्थकों तक ही सीमित है। देश में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना ने लोकतांत्रिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जनवरी 2024 में जब देश में आम चुनाव हुए थे तो बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार किया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना इस स्थिति से कैसे निपटती हैं? इस पर विश्वभर की नजरें लगी हुई हैं।

पाकिस्तान में शिया–सुन्नी दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत

रोजनामा सहारा (30 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में शिया-सुन्नी कबीलों के बीच हुई झड़प में 50 से अधिक लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए। स्थानीय पुलिस अधिकारी मुर्तजा हुसैन के अनुसार ये खूनी झड़पें सुन्नी मदागी और शिया मालीखेल जनजातियों के बीच हुईं। बताया जाता है कि कृषि भूमि के विवाद को लेकर शियाओं और सुन्नियों के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। इस पर विचार करने के लिए जनजातीय परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान एक गुट ने दूसरे गुट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दूसरे गुट ने भी दिया। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने कहा कि मदागी कबीला सुन्नी है। जबकि मालीखेल कबीले के लोग शिया हैं। सरकार ने एक सप्ताह पहले इन दोनों कबीलों में शांति समझौता करवा दिया था, लेकिन कुछ मुल्लाओं के भड़काने पर इन दोनों में फिर से हिंसा भड़क उठी। उन्होंने कहा कि मरने वाले सभी लोग पुरुष हैं। जबकि घायल होने वालों में कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं।

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने शिया सुन्नी दंगों पर चिंता प्रकट की है और सरकार से मांग की है कि वह शांति स्थापना के लिए युद्धस्तर पर तैयारी करे। पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है। वहां पर शिया-सुन्नी दंगे होते रहते हैं। इन दंगों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। कुर्रम का क्षेत्र पहले कबायली इलाका था। यहां की शासन व्यवस्था स्थानीय कबीलों के हाथ में थी और उसमें सरकार बहुत ही कम दखल देती थी। यह व्यवस्था पिछले 200 सालों से चली आ रही थी। 2018 में इस पूरे क्षेत्र को खैबर पख्तूनख्वा में विलय कर दिया गया। इस क्षेत्र में कई कबीले आबाद हैं। इनमें पुरानी शत्रुता चली आ रही है। मीडिया के अनुसार इन झड़पों के पीछे विदेशी हाथ भी हो सकता है।

तासीर (31 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को देखते हुए हाल ही में दो आतंकी संगठनों मजीद ब्रिगेड और हाफिज गुल बहादुर गुट पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान सरकार अब तक 81 संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) देश में आतंकवाद की ज्वाला भड़का रहा है। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिन दोनों संगठन पर हाल

ही में प्रतिबंध लगाया गया है उन पर पिछले दो सालों से निगरानी की जा रही थी। हाफिज गुल बहादुर गुट (एचजीबीजी) का प्रमुख हाफिज गुल बहादुर पहले सरकारी ठेकेदार था। अब उसका संगठन एचजीबीजी वजीरिस्तान में सबसे बड़ा आतंकदी संगठन है। हाल ही में अफगान सरकार ने यह आरोप लगाया था कि काबुल की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के पीछे इसी आतंकी संगठन का हाथ था। इस घटना में 200 से अधिक लोग मारे गए थे।

वहीं, मजीद ब्रिगेड का गठन 2011 में किया गया था। इसका संबंध बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। यह उसका समर्पित आत्मघाती दस्ता है। इससे जुड़े हुए लोग आम तौर पर चीनी अधिकारियों, नागरिकों और पाकिस्तानी सेना को अपना निशाना बनाते हैं। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन आतंकी गुटों से जुड़े हुए लोग अपने नाम के साथ मौलाना या मुफ्ती शब्द का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे इस्लाम के दुश्मन हैं और इस्लाम की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

कौमी तंजीम (27 जुलाई) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख ने इस्लामाबाद को घेरने की भी घोषणा की है। जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ता रावलपिंडी के फैजाबाद क्षेत्र से इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन्हें रोकने के लिए रास्ते में कंटेनर लगाकर सड़कों को सील कर दिया है। 200 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इस्लामाबाद पुलिस ने घोषणा की है कि इस्लामाबाद क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र में मेट्रो और बस सेवा पूरी तरह से बंद कर दी है और सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सेना के हवाले कर दिया है। जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि देश में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, इसलिए जमात-ए-इस्लामी ने देशभर के हर जिले में धरना देने की घोषणा की है। उन्होंने मांग की है कि सरकार बिजली, गैस और पेट्रोल के दामों में फौरन कटौती करे।

जर्मनी में इस्लामिक सेंटर और उससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध

हिंदुस्तान (25 जुलाई) के अनुसार जर्मनी सरकार ने हैम्बर्ग नगर में स्थित इस्लामिक सेंटर और उससे संबंधित सभी संगठनों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस सेंटर द्वारा इस्लामी आतंकवाद का प्रचार किया जा रहा है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस सेंटर की स्थापना 1953 में ईरान से आने वाले कुछ लोगों ने की थी। इस संगठन द्वारा शिया मुसलमानों में सरकार विरोधी गतिविधियों

को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संगठन के जरिए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की न केवल सहायता की जा रही है, बल्कि उसके लिए देशभर में धनराशि भी इकट्ठी की जा रही है। यह सेंटर हैम्बर्ग के इमाम अली मस्जिद में स्थित है, जो फ्रांस की सबसे पुरानी मस्जिदों में गिनी जाती है। इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। सरकार ने इस मस्जिद सहित कई अन्य मस्जिदों को भी सील कर दिया है।

सरकार ने फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और बर्लिन में इस्लामी आतंकी संगठनों से संबंधित लोगों की तलाश में छापे मारे थे। अदालत के निर्देश पर गुप्तचर विभाग के सहयोग से जर्मनी पुलिस ने आठ राज्यों के 53 स्थानों पर आतंकवादियों की तलाश में छापे मारे और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रवक्ता ने कहा कि यह संगठन जर्मनी में इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना चाहता है ताकि देश में शरीयत पर आधारित शासन को स्थापित किया जा सके। यह संगठन ईरान के सर्वोच्च नेता के इशारे पर काम करता है। वे जर्मनी में लोकतंत्र को खत्म करके इसे इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहते हैं। सरकार को इस संगठन की देशद्रोही गतिविधियों की सूचना काफी समय से मिल रही थी। प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी की एक अलग संस्कृति है, जिसमें इस्लामी शरिया पर आधारित खिलाफत के लिए कोई जगह नहीं है।

बांग्लादेश में जमात–ए–इस्लामी पर प्रतिबंध

सहाफत (1 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटे की व्यवस्था के खिलाफ हुए खूनी आंदोलन के बाद सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने दावा किया है कि हाल ही में देश में जो राष्ट्रव्यापी दंगे हुए उसके पीछे जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन का हाथ था। इनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध

में सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरी ओर, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के नेताओं ने इस सरकारी फैसले को असंवैधानिक, गैरकानूनी और तानाशाही कदम बताया है। भारत के जमात-ए-इस्लामी ने भी बांग्लादेश सरकार के इस कदम की निंदा की है और कहा है कि सरकार जनभावना को कुचलने के लिए तानाशाही तरीके अपना रही है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद से ही जमात-ए-इस्लामी वहां की सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जमात-ए-इस्लामी के कैडर ने न सिर्फ मुक्ति बाहिनी और मुक्ति आंदोलन का विरोध ही किया था, बल्कि पाकिस्तानी सेना और सरकार का खुलकर समर्थन भी किया था। इसके बाद से लेकर अब तक जमात-ए-इस्लामी का कैडर सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव के दौरान जमात-ए-इस्लामी ने यह आरोप लगाया था कि शेख हसीना की सरकार ने उसके 64 से अधिक नेताओं को झूठे आरोपों में फांसी पर लटकाया है और उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद कर दिया है। जमात-ए-इस्लामी को बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है।

पेरिस में आतंकी हमला

मुंबई उर्दू न्यूज (27 जुलाई) के अनुसार फ्रांस में ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले अनेक स्थानों पर आतंकी हमले हुए। इसके कारण पूरी ट्रेन व्यवस्था ठप हो गई। रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई और संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया। फ्रांस की नेशनल रेलवे कंपनी के अनुसार इस आतंकी हमले के कारण पेरिस से आने-जाने वाली तीन दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया,

जिससे आठ लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। फ्रांस के प्रधानमंत्री गेब्रियल अटल ने कहा है कि आतंकवादियों ने यह हमला ओलंपिक खेलों को ठप करने के लिए किया है। खेलों के इस महाकुंभ में 206 देशों के 10 हजार से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के परिवहन मंत्री ने कहा है कि इस हमले के पीछे किस संगठन का हाथ है इसकी जांच फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं।

उर्दू टाइम्स (30 जुलाई) के अनुसार फ्रांसीसी अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि देश के कई भागों में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क में तोड़फोड़ की गई है जिसके कारण पूरी ट्रेन सेवा, बैंकिंग और हवाई सेवा ठप हो गई है। फ्रांसीसी पुलिस के अनुसार फ्रांस के छह क्षेत्रों में कई दूरसंचार कंपनियों के फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। इसके कारण पूरी इंटरनेट व्यवस्था ठप हो गई है। इन आतंकी कार्रवाईयों के कारण उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण व पश्चिमी फ्रांस का पूरा जनजीवन ठप हो गया है। अल अरेबिया के संवाददाताओं के अनुसार इस कार्रवाई के पीछे वामपंथी अतिवादियों का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया गया है।

अवधनामा (28 जुलाई) के अनुसार फ्रांस के कई हवाई अड्डों पर बम लगाए जाने की सूचना के कारण फ्रांस की पूरी हवाई सेवा को बंद कर दिया गया है और विस्फोटक पदार्थों की तलाश की जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण

रोजनामा सहारा (30 जुलाई) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी की जीत खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। समाचारपत्र ने लिखा है कि गाजा के युद्ध में अमेरिका ने जिस तरह से इजरायल का खुलकर समर्थन किया है उसका बुरा प्रभाव अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ने की संभावना है। अमेरिका के मुसलमान और फिलिस्तीन समर्थक बाइडेन के विरोध में खुलकर मैदान में आ गए हैं। यही कारण है कि बाइडेन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार हैं ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि पिछले नौ महीने के दौरान गाजा में जो कुछ हुआ है वह बहुत ही दुखद है। अपने परिजनों की लाशों और शांति की तलाश में दर-बदर भटकने वाले हजारों लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं हरगिज खामोश नहीं रहूंगी। कमला हैरिस ने कांग्रेस में नेतन्याहू के संबोधन का बहिष्कार करते हुए कहा था कि गाजा में फौरन शांति स्थापित करना बेहद जरूरी है।

अवधनामा (28 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि अमेरिका से 11500 लेबनानी मुस्लिम नागरिकों को निष्कासित करने के फैसले को रद्द कर दिया जाए। इस फैसले के बाद अब लेबनानी मुसलमान अमेरिका में रह सकेंगे। मिशिगन क्षेत्र से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद डेबी डिंगेल ने राष्ट्रपति बाइडेन के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में बहुत से लेबनानी मूल के मुसलमान रह रहे हैं। वे अपने देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट से काफी परेशान हैं। दूसरी ओर, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घोषणा की है कि अगर वे चुनाव जीते तो वे शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दे देंगे।

हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह की तेहरान में हत्या

उर्दू टाइम्स (1 अगस्त) के अनुसार हमास का प्रमुख इस्माइल हानियेह ईरान की राजधानी तेहरान में एक इजरायली हमले में मारा गया है। ईरानी टीवी के अनुसार हानियेह ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान आया था। हमास की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि हमास के प्रमुख की हत्या के दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। हमास के नेता मूसा मोहम्मद अबू मरजूक ने कहा है कि हानियेह की हत्या एक कायराना हरकत है और इजरायल अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। एक अन्य हमास नेता सामी अबू जुहरी ने कहा कि हम यरुशलम को आजाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल ने पूरे विश्व को जंग की ओर धकेल दिया है। हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हानियेह की हत्या अमेरिका की सहायता के बिना नहीं हो सकती थी।

गौरतलब है कि इन दिनों हानियेह तुर्किये और कतर में रहता था। गाजा के युद्ध के दौरान उसके तीन बेटे और चार पोते मारे गए थे। 2017 में उसे खालिद मशाल के स्थान पर हमास का राजनीतिक प्रमुख नियुक्त किया गया था। पिछले दो सालों से वह कतर में रह रहा था। हानियेह 1988 में हमास में शामिल हुआ था और 1997 में वह हमास के प्रमुख शेख अहमद यासीन का निजी सचिव बना। इजरायल ने उसे दो बार गिरफ्तार किया था। 2006 में फिलिस्तीन में हुए चुनाव में हमास को बहुमत मिलने के बाद इस्माइल हानियेह को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। हमास और फतह के आपसी मतभेदों के कारण यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। जबसे गाजा में युद्ध छिड़ा है तभी से इजरायल इस्माइल हानियेह की तलाश कर रहा था। हानियेह का तेहरान में मारा जाना ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए अब ईरान को भी इजरायल के खिलाफ सीधे मैदान में उतरना पड़ेगा।

अवधनामा (2 अगस्त) के अनुसार इस्माइल हानियेह की नमाज-ए-जनाजा ईरान की राजधानी तेहरान में अदा की गई। ईरानी सर्वोच्च

नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने उसकी नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया।

रोजनामा सहारा (3 अगस्त) के अनुसार हानियेह को कतर की राजधानी दोहा स्थित शाही कब्रिस्तान में दफन किया गया। कतर की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम मुहम्मद इब्न अब्द अल-वहाब में उसकी नमाज-ए-जनाजा अदा की गई। समाचारपत्र के अनुसार विश्वभर के विभिन्न स्थानों पर हानियेह की नमाज-ए-जनाजा अदा की गई।

अवधनामा (2 अगस्त) के अनुसार हानियेह की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान में सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। इजरायल ने हानियेह तक पहुंचने के लिए जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि इजरायल ने आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करके हानियेह के ठहरने की लोकेशन की जानकारी प्राप्त की। कहा जाता है कि जब वह अपने बेटे से वाट्सऐप पर बातचीत कर रहा था तो इजरायल ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। हानियेह की हत्या के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है उसे इजरायल के साइबर इंटेलिजेंस ग्रुप की ओर से तैयार किया गया था।

औरंगाबाद टाइम्स (2 अगस्त) के अनुसार हानियेह की हत्या के लिए अमेरिका ने इजरायल को तकनीकी सहयोग दिया था। यह हमला अमेरिकी एजेंटों की मदद के बिना संभव नहीं था। हालांकि, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका का हानियेह की हत्या में कोई हाथ नहीं है। अमेरिकी समाचारपत्र के अनुसार हानियेह को मारने के लिए तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले से ही बम लगा दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस हमले में हमास के कम-से-कम सात उच्चाधिकारी मारे गए हैं। तेहरान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस गेस्ट हाउस का नाम नेशात है और इसका प्रबंधन का जिम्मा ईरानी गुप्तचर विभाग पासदारान-ए-इंकलाब के पास है। समाचारपत्र का कहना है कि इस हत्या की योजना अमेरिका की मदद से इजरायली गुप्तचर एजेंसी मोसाद ने बनाई थी।

हिंदुस्तान (1 अगस्त) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी और जमीयत उलेमा सहित कई अन्य भारतीय मुस्लिम संगठनों ने हानियेह की मौत पर संवेदना प्रकट की है। उनका कहना है कि हानियेह का मारा जाना आलम-ए-इस्लाम के लिए इस युग की सबसे बड़ी क्षति है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अगस्त) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरानी सरकार को आदेश दिया है कि वह इजरायल से इस हत्या का बदला ले। यह फैसला ईरानी सुप्रीम काउंसिल के आपातकालीन अधिवेशन में किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार सीरिया, यमन और इराक में सक्रिय लड़ाकू इस्लामी संगठनों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इजरायल से इस हत्या का बदला लेने के लिए तुरंत कार्रवाई करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अगस्त) के अनुसार चीन, कतर और तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब

एर्दोगान ने हानियेह की मौत पर संवेदना प्रकट की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अगस्त) के अनुसार इजरायल ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख मोहम्मद दीफ की भी हत्या कर दी है। वह हमास में दूसरे नंबर का नेता था। सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की योजना मोहम्मद दीफ ने ही बनाई थी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल पर हमला करने वाले हमास की पूरी लीडरशिप का सफाया इजरायल के बहादुरों ने कर दिया है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार हानियेह के अंतिम संस्कार में उसके दोनों बेटे भी शामिल थे। हमास का नया प्रमुख खालिद मशाल को बनाए जाने की संभावना है।

इंकलाब (3 अगस्त) के अनुसार ईरान के संभावित हमले को देखते हुए दुनियाभर की हवाई कंपनियों ने इजरायल के लिए अपनी विमान सेवाओं को रद्द कर दिया है। ईरान द्वारा इजरायल से बदला लेने की धमकी के बाद अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को फारस की खाड़ी में भेज दिया है। इसके साथ छह मिसाइल वाहक जहाज भी भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी भूमध्य सागर में भी पांच अमेरिकी युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। कुछ अमेरिकी जासूसी विमान सीरिया, लेबनान और इजरायल के सीमावर्ती क्षेत्रों का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा है कि इजरायल से हानियेह की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम संभावित हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें जो नुकसान पहुंचाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया है कि अमेरिका इजरायल को ईरानी हमले का मुकाबला करने के लिए हर तरह का सहयोग देगा। ताजा समाचारों के अनुसार इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या कर दी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हानियेह की हत्या के बाद मध्य पूर्व में स्थिति बेहद विस्फोटक हो गई है। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजरायल पर हमला कर सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती हुई दुश्मनी के कारण यह पूरा क्षेत्र जंग का मैदान बन सकता है। इसकी वजह से विश्व की शांति खतरे में पड़ सकती है।

अखबार-ए-मशरिक (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में संदेह व्यक्त किया है कि हानियेह की हत्या के बाद हमास और इजरायल के बीच युद्ध का विस्तार हो सकता है और वह विश्व युद्ध का रूप ले सकता है।

सियासत (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल हानियेह की हत्या करने के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील था और उसने अब पूरे इस्लामिक जगत को यह संदेश दिया है कि वे इजरायल का नामोनिशान मिटाने के लिए एकजुट हो जाएं। वहीं, हमास ऐसे लोगों का संगठन है, जिनके लिए मौत कोई मायने नहीं रखती और न ही वे उससे भयभीत होते है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने प्राण को न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

हानियेह की हत्या पूरे इस्लामी जगत के लिए एक चुनौती है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अब यह गलतफहमी पालने की कोई गुंजाइश नहीं है कि ईरान इजरायल पर हमला करने का इरादा रखता है। इससे पहले भी ईरान ने अपने एक राजनयिक की हत्या का बदला लेने के लिए तेल अबीब पर हजारों मिसाइल दागे थे, लेकिन वह इजरायल का बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि इजरायल की रक्षा व्यवस्था ने उसे रास्ते में ही बेअसर कर दिया था। समाचारपत्र ने कहा है कि अरब जगत के विभिन्न मुस्लिम देश आपस में ही उलझे हुए हैं, इसलिए उनसे किसी भी तरह की आशा रखना फिजूल है।

इंकलाब (3 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हानियेह की हत्या से फिलिस्तीनी संघर्ष के नेतृत्व में जो खालीपन आया है उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद पूरी कौम बदला लेने के लिए मैदान में उतर पड़ती है और वह बदला लेकर ही दम लेती है। एक दिन जरूर आएगा जब फिलिस्तीन यहूदियों के चंगुल से आजाद होगा।

हमास और फतह सहित 14 फिलिस्तीनी संगठनों में एकजुटता

चीन के प्रयास से इजरायल के खिलाफ संघर्षशील फिलिस्तीन के 14 इस्लामी गुट एकजुट हो गए हैं। इसके कारण चीन को अरब जगत में अपने पैर पसारने में दूसरी बार सफलता मिली है। इससे पहले उसके प्रयास से दो पुराने शत्रु ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के नजदीक आए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन इस्लामी जगत में सुनियोजित ढंग से घुसपैठ कर रहा है। हालांकि,

रूस भी इसी दिशा में प्रयत्नशील था, लेकिन उसे अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों में ब्रिटेन और अमेरिका का वर्चस्व था।

रोजनामा सहारा (24 जुलाई) के अनुसार दशकों से इजरायल के खिलाफ संघर्षशील दो बड़े फिलिस्तीनी जिहादी संगठन अपने पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट हो गए हैं। उनके साथ एक दर्जन अन्य फिलिस्तीनी गुट भी एक मंच पर इकट्ठा होने पर सहमत हुए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में इजरायल के खिलाफ संघर्षशील जिहादी संगठनों के नेताओं की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में फतह के उपाध्यक्ष महमूद अलौल और हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह ने भाग लिया था। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन फिलिस्तीनी गुटों ने घोषणा की कि गाजा में इजरायल के युद्ध के कारण फिलिस्तीनी जनता मुश्किल हालात से गुजर रही है। इसे देखते हुए हम सभी लोगों ने आपस में समझौता करने का फैसला किया है ताकि फिलिस्तीन की आजादी की राह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जा सके।

गौरतलब है कि फिलिस्तीन की भूमि में मुख्य रूप से फतह और हमास प्रभावी हैं। हमास गाजा में सत्ता में है। जबकि फतह का फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर कब्जा है। इन दोनों के बीच काफी समय से संघर्ष चल रहा है। हमास 1987 में इजरायल के खिलाफ एक प्रतिरोधी गुट के रूप में उभरा था। वह हिंसा के जरिए फिलिस्तीन को आजाद कराने का समर्थक है। इन दिनों उसके तार ईरान से जुड़े हुए हैं। जबकि फतह की स्थापना 1957 में फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात ने की थी। 1964 में यासिर अराफात के प्रयास से फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य फिलिस्तीन की आजादी के लिए संघर्षशील सभी गुटों को एकजुट करना था। पीएलओ ने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधित्व किया।

यासिर अराफात को रूस का नजदीक माना जाता था। वहीं, हमास ने पीएलओ से दूरी बनाए रखा। 1993 में अमेरिका के प्रयास से यासिर अराफात और इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन के बीच नार्वे की राजधानी ओस्लो में एक समझौता हुआ। इस समझौते में पीएलओ ने पहली बार इजरायल को मान्यता दी और यह घोषणा की कि वह भविष्य में हिंसक तरीकों का परित्याग करेगा। जबकि इजरायल ने पीएलओ को फिलिस्तीनियों का एक मात्र प्रतिनिधित्व संगठन के रूप में मान्यता दी। इस समझौते के बाद हमास और फतह के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। हमास का मानना था कि अगर इजरायल को मान्यता दी जाती है तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को 44 प्रतिशत मत प्राप्त हुए और उसे विजयी घोषित

किया गया। जबकि फतह को 41 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

बताया जाता है कि 2006 में हुए चुनाव के बाद फतह और हमास के बीच जो समझौता हुआ था वह भी अधिक समय तक नहीं चल पाया और ये दोनों संगठन एक दूसरे से अलग हो गए। पिछले वर्ष सात अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया। इसके बाद शुरू हुई इजरायल और हमास की लड़ाई अभी तक जारी है। इस युद्ध के कारण अब तक गाजा में 39 हजार लोग मारे जा चुके हैं। चीन पहला ऐसा देश था, जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। सात अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन इजरायल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है। हम यह चाहते हैं कि दोनों देश शांतिपूर्वक रहें।

इंकलाब (24 जुलाई) के अनुसार फिलिस्तीन में संघर्षशील इस्लामी जिहादी गुटों के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि फिलिस्तीनी संगठनों ने अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की है। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हालांकि, यह समझौता फिलिस्तीन में संघर्षशील विभिन्न गुटों का अंदरूनी मामला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इसके लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में मिस्र, अल्जीरिया और रूस के राजदूत भी मौजूद थे। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने को इच्छुक है। उन्होंने गाजा में स्थाई युद्धविराम पर भी जोर दिया। हमास और इजरायल के विवाद में मिस्र एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। जबकि अल्जीरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य है, जिसने गाजा में युद्धविराम हेतु एक प्रस्ताव भी पेश किया था। चीन पिछले कई महीनों से हमास और फतह के प्रतिनिधियों के बीच समझौता करवाने का प्रयास कर रहा था। इन दोनों संगठनों के बीच पिछले 17 सालों से मतभेद चले आ रहे हैं और कई बार इन दोनों के बीच खूनी झड़पें भी हुई हैं। 2006 के चुनाव में गाजा में फतह को पराजित करने के बाद हमास ने गाजा में एक सरकार भी बनाई थी। जबकि फतह वेस्ट बैंक के एक भाग पर हुकूमत कर रहा है। अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। चीन का यह प्रयास है कि वह किसी न किसी तरह से मुस्लिम जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करे। यह समझौता इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

एक अन्य समाचार के अनुसार इन संगठनों ने गाजा में युद्धविराम के बाद एक राष्ट्रीय सरकार गठित करने की इच्छा व्यक्त की है। इस पर टिप्पणी करते हुए फतह ने कहा कि यह एक ऐसी सरकार होगी, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा दोनों ही शामिल होंगे। फतह के प्रवक्ता ओसामा अल-कवास्मी ने अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास ने पहली बार फिलिस्तीन की समस्या पर सकारात्मक रूख अपनाया है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि सभी गुट एकजुट हों।

हूतियों के बंदरगाह पर इजरायल का हमला

रोजनामा सहारा (22 जुलाई) के अनुसार यमन के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल के नगर ईलात पर हमला किया था। इसके बाद लाल सागर में अमेरिका के अनेक जहाजों को भी अपना निशाना बनाया था। इस हमले में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा है।

इंकलाब (22 जुलाई) के अनुसार अपने नगर पर हुए हमले के जवाब में इजरायल ने हूतियों के गढ़ यमन में स्थित हुदैदाह बंदरगाह पर हमले किए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायल ने हूतियों को यह संदेश दिया है कि अगर उन्होंने हमारे क्षेत्र को निशाना बनाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इजरायल के इस हमले में हूतियों के कई जंगी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हूतियों के कम-से-कम सात उच्चाधिकारी मारे गए हैं और 100 के लगभग घायल हुए हैं। हूतियों के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने इन हमलों की पुष्टि की है और कहा है कि ये हमले हूतियों पर दबाव डालने के लिए किए गए हैं ताकि वे गाजा में फिलिस्तीनियों का समर्थन बंद कर दें। उसने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं।

ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार इस हमले के कारण हुदैदाह बंदरगाह में अनेक स्थानों पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। इजरायल ने हूतियों के तेल के भंडारों, बिजली संयंत्र और सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हूतियों ने हमारे नगर पर हमला किया था, इसलिए हमने जवाबी हमला किया है। हम उन्हें हर जगह हमले का जवाब हमले से देंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि जो देश हमारे देश पर हमला करेगा हम उसका पूरी तरह से बदला लेंगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि यमन पर हुए इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इजरायली विमानों ने यमन में हूतियों के गढ़ हुदैदाह बंदरगाह को अपना निशाना बनाया है। पिछले कई महीनों से हूती इजरायल पर हमले कर रहे थे, इसलिए इजरायली सेना को उसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा।

सऊदी अरब की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने स्पष्ट किया है कि यमन पर हुए हमले से सऊदी अरब का कोई संबंध नहीं है और न ही इस हमले के लिए उसकी वायु सीमा का इस्तेमाल किया गया है। हमास के एक प्रवक्ता ने यमन पर हुए इस इजरायली हमले को वहशियाना हरकत बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने आरोप लगाया है कि इजरायली सेना महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बना रही है। इजरायल ऐसी हरकतों से दुनिया को विश्वयुद्ध की ओर धकेल रहा है। यमन के हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल-हूती ने कहा है कि इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन से हमारी सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि हम इजरायल और उसके समर्थक देशों के जलयानों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में तेल अबीब को हमने अपना निशाना बनाया था, जिससे दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हम यमन के मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम हर हालत में उनके साथ हैं।

सऊदी अरब में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए स्मार्ट सिस्टम योजना

इंकलाब (24 जुलाई) के अनुसार सऊदी अरब की हज और उमरा मंत्रालय ने कहा है कि जो विदेशी नागरिक हज या उमरा करने के लिए सऊदी अरब आए थे वे अपनी वीजा की अवधि पूरी होने से पहले स्वदेश लौट जाएं। अगर वे वीजा की अवधि की समाप्ति के बाद भी सऊदी अरब में रहते पाए जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाएगी। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार हज का वीजा एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब में देखा जाएगा तो उसे गैरकानूनी घुसपैठिया माना जाएगा और उसे जुर्माना सहित कठोर सजा दी जाएगी। जो सऊदी नागरिक उन्हें शरण देंगे उनकी नागरिकता को समाप्त करके उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल-खतीब ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि अभी पर्यटक वीजा जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस वर्ष की पहली छमाही में छह करोड़ लोग सऊदी अरब आए थे, जिन्होंने 150 अरब रियाल खर्च की। उन्होंने कहा कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर हम पर्यटन को विकसित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी घुसपैठिए को अपने देश में घुसने की अनुमति नहीं देंगे।

एतेमाद (2 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब में पवित्र स्थानों की यात्रा की आड़ में होने वाले अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित स्मार्ट सिस्टम को लागू किया जा रहा है। जो व्यक्ति सऊदी अरब आएगा उसकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी और स्मार्ट कैमरों के जरिए चौबीसों घंटे उसकी निगरानी की जाएगी। मक्का, मदीना, काबा और मस्जिद-ए-नबवी में विशेष कैमरे लगाए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 54 लाख 28 हजार नमाजियों ने मस्जिद-ए-नबवी और रसूल की मजार की जियारत की।

कौमी तंजीम (30 जुलाई) के अनुसार सऊदी प्रशासन ने एक सप्ताह के अंदर अवैध घुसपैठ के सिलसिले में 21103 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 13000 लोगों को आवासीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जबकि देश में अवैध रूप से दाखिल होने के प्रयास में 6000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रवक्ता का कहना है कि सऊदी अरब में अवैध रूप से दाखिल होने वाले अधिकांश लोग इथियोपिया और यमन के हैं। इन घुसपैठियों को शरण देने के आरोप में 18 सऊदी नागरिकों को पकड़ा गया है, जिन्हें 15-15 साल की कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी गुप्तचर एजेंसियां इन घुसपैठियों की हर हरकत पर नजर रख रही है।

उर्दू टाइम्स (20 जुलाई) के अनुसार सऊदी अरब में इस साल 106 लोगों को मौत की

सजा दी गई है। सभी आरोपियों के सिर सार्वजनिक तौर पर काटे गए हैं, जिनमें सात पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जिन लोगों को उनके सिर काट कर सजा दी गई है उनमें 78 सऊदी नागरिक, आठ यमनी नागरिक और 15 इथियोपियाई नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त सजा पाने वालों में श्रीलंका, नाइजीरिया, जॉर्डन, भारत और सूडान के एक-एक नागरिक भी शामिल है। सऊदी अरब में 2022 में सार्वजनिक रूप से सिर काटकर मौत की सजा देने का सिलसिला शुरू किया गया था। मार्च 2022 में एक ही दिन 81 लोगों की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। जबकि 2023 में 170 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। सऊदी प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनमें मादक पदार्थों के तस्कर, आतंकवादी और हत्यारे शामिल थे।

उर्दू टाइम्स (22 जुलाई) के अनुसार सऊदी अरब में चार पाकिस्तानी सहित 10 मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 33 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। सऊदी कानून के अनुसार इन सभी को मौत की सजा दी जाएगी।

इराक और सीरिया में आईएसआईएस के पुनरुत्थान की संभावना

इंकलाब (24 जुलाई) के अनुसार इराक में आईएसआईएस से जुड़े हुए 10 आतंकवादियों को आतंकवाद के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्हें दक्षिणी इराक के नगर नासिरिया के एक जेल में मौत की सजा दी गई है। मौत की सजा पाने वाले सभी लोग इराकी नागरिक हैं। इन पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने और आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले अप्रैल महीने में भी आईएसआईएस से जुड़े 11 अन्य आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया गया था। इसके बाद जुलाई महीने में एक इराकी अदालत ने आईएसआईएस के संस्थापक अबू बकर अल-बगदादी की पत्नी अस्मा मोहम्मद को मौत की सजा सुनाई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि सीरिया और इराक में गुप्त रूप से काफी लोगों को फांसी पर लटकाया गया है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं।

सियासत (21 जुलाई) के अनुसार मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह संकेत दिया है कि सीरिया और इराक में आईएसआईएस से जुड़े कैडर फिर से सक्रिय हो रहे हैं और इस संगठन का पुनरुत्थान हो रहा है। इसकी योजना यह है कि इस क्षेत्र में हिंसा द्वारा सत्ता पर कब्जा किया जाए। सीरिया और इराक में इस साल के पहले छह महीने में आईएसआईएस द्वारा 153 हमले किए जा चुके हैं। इस अमेरिकी संगठन का दावा है कि हमलों की यह संख्या 2023 के मुकाबले में दोगुनी है। इससे यह संकेत मिलता है कि आईएसआईएस का कैडर फिर से सिर उठा रहा है। ये लोग सीरिया और इराक की सीमाओं में गुप्त शिविर स्थापित कर चुके हैं, जिनमें वे छापामार युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने कहा है कि हम आईएसआईएस के खिलाफ व्यापक रूप से अभियान शुरू कर रहे हैं। गुप्तचर सूत्रों ने यह संकेत दिया है कि यह खूनी इस्लामी आतंकी संगठन इन दोनों देशों के अतिरिक्त अन्य पांच देशों में भी अपने आप को नए सिरे से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अभी इस आतंकी संगठन के पास 2500 से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने बताए जाते हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

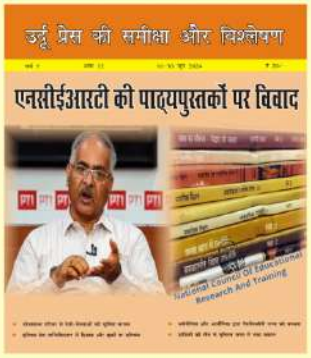

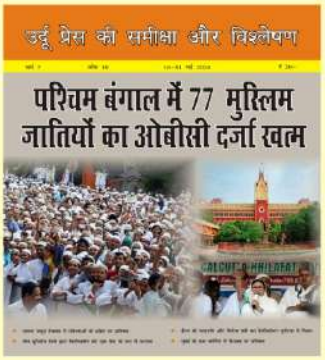

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in